सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 31/2016

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – रूपनगर

मौहम्मद सलीम खान पुत्र श्री लाल मौहम्मद उम्र 45 वर्ष जाति मेरात निवासी मस्जिद गली फतेहगढ़ सल्ला पा0 रूपनगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

——— प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील ब्यावर

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः– 08.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट रूपनगर में पेश हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर व ग्राम ब्यावरखास पटवार हल्का ब्यावर खास तहसील ब्यावर जिला अजमेर में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमियां चली आ रही है जो ख.नं. 384 रकबा 00–03–00, 410 रकबा 00–09–00, 411 रकबा 00–08–10 जो ग्राम फतेहगढ़ सल्ला में स्थित है तथा खसरा नम्बर 921 रकबा 00–15–00, 923 रकबा 03–10–00, 952 रकबा 01–17–00, 953 रकबा 01–08–00, 960 रकबा 01–07–00 जो ग्राम ब्यावरखास में स्थित है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भोजा पुत्र लाला अंकित हो रखा है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर हुई, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशनकार्ड इत्यादि में नाम मौहम्मद सलीम खान पुत्र लाल मौहम्मद है। राजस्व रेकार्ड एवं अन्य रेकार्ड में नाम अलग अलग होने प्रार्थी को वर्तमान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा भविष्य में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपरोक्त नाम दुरूस्ती बाबत अन्य सहखातेदारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एवं उक्त नाम दुरूस्ती बाबत् सहखातेदारान के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के समस्त राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भोजा पुत्र लाल के स्थान पर मौहम्मद सलीम खान पुत्र लाल मौहम्मद दुरूस्त करने के समुचित आदेश फरमावे एवं अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हक में उचित समझ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक भूअ/2017/1371 दिनांक 12.03.2018 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि ग्राम फतहगढ़ सल्ला पटवार मण्डल रूपनगर की आराजी खसरा संख्या 384, 410, 411 कित्ता 3 रकबा 01–00–10 केशा भोजा सुल्तान पि. लाला 3/5 हि0 इरफान इमरान पि0 अणदा हाजरा पत्नि स्व. अणदा 1/5 हि0 सायरी पत्नि स्व. लालू 1/5 हि0 कौम मेरात सा. देह खातेदार इन्द्राज है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि मेंप्रार्थी मौ. सली खां का नाम भोजा पुत्र लाला अंकित है जो गत जमाबन्दियों से चला आ रहा है। ग्राम में पूछताछ में पाया कि भोजा पुत्र लालू को ग्राम में सलीम खां के नाम से भी पुकारा/जाना जाता है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भोजा पुत्र लालू दर्ज है जबकि अन्य पहचान दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सलीम खां है।

मजमें आम में तहसीलदार ब्यावर व पटवारी हल्का को सुना गया जिन्होंने कथन किए कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भोजा पुत्र लाला है जबकि अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सलीम खां होने के कथन करते हुए बताया कि अन्य सहखातेदार जो कि प्रार्थी के सगे भाई हैं, उनको पक्षकार नहीं बनाया है व न ही उनकी सहमति प्राप्त की है। यह संभावित है कि प्रार्थी का नाम सलीमखां पुत्र लाल मौहम्मद कर दिये जाने से प्रार्थी के अन्य सगे भाई के पिता का नाम लालू की जगह लाल मौहम्मद कर दिये जाने से उन्हें किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरपंच ग्राम पंचायत रूपनगर का भी कोई सज़रा/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के मौखिक कथन किए।

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार क्षेत्र रूपनगर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 44 में केशा अणदा भोजा सुलतान पि0 लालू मु0 सायरी बेवा लालू कौम मेरात सा0 देह अंकित है तथा जरिए विरासत नामान्तरकरण के अणदा पि0 लालू के स्थान पर उनके वारिसान के नाम का अंकन दर्ज है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भोजा का नाम परिवर्तन करने के साथ ही प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की भी शुद्धि चाही है जिसमें लालू के स्थान पर लाल मौहम्मद किये जाने के कथन किए हैं जिससे प्रार्थी के अन्य सगे भाईयों के पिता का नाम भी परिवर्तित हो जायेगा एवं प्रार्थी के सगे भाईयों के दस्तावेजात् में क्या अंकन है, इससे संबंधित कोई दस्तावेज प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं ना ही अपने भाईयों व माता की सहमति संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत रूपनगर द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह नाम दुरूस्त किया जाना विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 08.05.2018 को मज़में आम में ग्राम पंचायत रूपनगर में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर